फर्द अहकाम
(नियम–26)

ज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम किशनगढ जिला अजमेर

प्रार्थी:– सरकार जरिये तहसीलदार किशनगढ।

प्रार्थना पत्र धारा 131 व 132 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 एवं धारा 58, 59, 60 , 66, 86 भू.अभिलेख नियमावली 1957 बाबत चालू रास्ते को राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने हेतु।

दर्ज दिनांक 16/1/2026
प्रार्थना पत्र संख्या 20 /2026
ऑनलाईन संख्या 2026 / 20

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
16.1.26	तहसीलदार किशनगढ द्वारा राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र क्रमांक प 3 (2) राज–6 /2003 / पार्ट जयपुर, दिनांक 10.08.2016 अन्तर्गत आवागमन हेतु सार्वजनिक उपयोग में आ रहे रास्तों का राजस्व अभिलेख में स्थाई अंकन करने हेतु ग्राम पंचायत रामपुरा की ढाणी पटवार मण्डल सरगांव तहसील किशनगढ स्थित भूमि खसरा संख्या 602/20, 21, 22, 24, 27, 407/33, 33, 35, 252, 601/20 में प्रचलित रास्ते का राजस्व रिकार्ड में स्थाई अंकन हेतु प्रस्ताव मय राजस्व रिकार्ड एवं नक्शा ट्रेस, मौका पर्चा के प्राप्त हुआ है। मुताबिक रिपोर्ट खसरा संख्या 602/20, 21, 22, 24, 27, 407/33, 33, 35, 252, 601/20 में से एक प्रचलित रास्ता है जिसका रकबा 3.39 हैक्टैयर है, रास्ता काफी वर्षो से प्रचलित है एवं कदीमी है। इस रास्ते की चौडाई 10 मीटर है,यह रास्ता उक्त खसरा नम्बर में, मौके पर चालू है लेकिन रास्ते का राजस्व रिकार्ड में अंकन नहीं है। रास्ते की चौडाई 10 मीटर है एवं प्रस्तावित रास्ते को नक्शा ट्रेस में दर्शाया गया है। उक्त रास्ता बारहमासी प्रचलित है तथा मौसम/ऋतुओं के अनुसार बदलता नहीं है और आमजन के आने जाने हेतु उपलब्ध है। राजस्व रिकार्ड में उक्त रास्ते कि किस्म गै.मु. रास्ता दर्ज करने एवं लाल स्याही से अंकन करने के आदेश जारी करने हेतु हमारे समक्ष प्रस्तावित किया गया है। हमारे द्वारा पत्रावली व प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 व 132 तथा राजस्थान भू–अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, 66 एवं 86 के प्रावधानानुसार तहसीलदार के द्वारा अभिशंसित सलग्न प्रस्ताव अनुसार राजस्व अभिलेख व नक्शा ट्रेस में दर्ज राजकीय एवं निजी भूमि खसरा संख्या 602/20, 21, 22, 24, 27, 407/33, 33, 35, 252, 601/20 को गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। संलग्न प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस के अनुसार ग्राम पंचायत रामपुरा की ढाणी पटवार मण्डल सरगांव तहसील किशनगढ स्थित भूमि खसरा संख्या 602/20, 21, 22, 24, 27, 407/33, 33, 35, 252, 601/20 में से रकबा 03.39 हैक्टेयर जरिये नामान्तरकरण रास्ता पृथक से दर्ज करते हुये रास्ते के रकबे की किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जावे, एवं प्रस्तावित नक्शे अनुसार नक्शे में तरमीम की जावे। गैर मुमकिन रास्ते की भूमि पूर्व खातेदार के खाते में ही रहेगी केवल किस्म गै.मु. रास्ता दर्ज किया जावे। तहसीलदार द्वारा भेजा गया प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस आदेश का भाग रहेगा, तदनुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद हेतु तहसीलदार को तहरीर जारी की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो। उपखण्ड अधिकारी किशनगढ(अजमेर)	